Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तनः सरकारी हस्तक्षेपों की भूमिका

निधि
शोधार्थी, (इतिहास विषय) सामाजिक विज्ञान विभाग बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर रोहतक (Reg. No = 23-BMU-7225)
Mail id kevinphougat11@gmail.com

डॉ. राजबीर सिंह गुलिया
प्रोफेसर, (इतिहास विषय) सामाजिक विज्ञान विभाग बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर रोहतक

शोध सार
यह अध्ययन महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज में महिलाएँ लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक असमानताओं का सामना करती रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों तथा योजनाओं को लागू किया है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार, अवसर एवं निर्णय–निर्माण में भागीदारी प्रदान करना रहा है। इस शोध में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, उसके विभिन्न आयामों–सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक का अध्ययन किया गया है तथा सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, स्वयं सहायता समूह, उज्ज्वला योजना, एवं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति आदि का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन यह दर्शाता है कि सरकारी प्रयासों से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक चेतना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, यद्यपि क्रियान्वयन की समस्याएँ, सामाजिक रूढ़ियाँ एवं जागरूकता की कमी अब भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शोध का निष्कर्ष यह प्रतिपादित करता है कि महिला सशक्तिकरण केवल नीतिगत प्रयासों से नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता, प्रभावी प्रशासन एवं जागरूकता के माध्यम से ही पूर्ण रूप से संभव है।

मुख्य शब्दः महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, सरकारी नीतियाँ, महिला विकास, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, महिला कल्याण योजनाएँ।

महिला सशक्तिकरण में सामाजिक परिवर्तनः–

शिक्षा

महिलाओं और लड़िकयों के लिए शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित किया जाएगा। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने, निरक्षरता को दूर करने, लिंग संवेदी शिक्षा पद्धति

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

बनाने, लड़कियों के नामांकन और अवधारण की दरों में वृद्धि करने तथा महिलाओं द्वारा रोजगार, व्यावसायिक, तकनीकी कौशलों के साथ–साथ जीवन पर्यन्त शिक्षण को सुलभ बनाने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में लिंग भेद को कम करने की ओर ध्यानाकर्षित किया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्गों अल्पसंख्यकों समेत कमजोर वर्गों की लड़कियों और महिलाओं पर विशेष ध्यानाकर्षित करते हुए मौजूदा नीतियों में समय संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। लिंग भेद के मुख्य कारणों में एक के रूप में लैंगिक रूढिबद्धता का समाधान करने के लिए शिक्षा पद्धति के सभी स्तरों पर लिंग संवेदी कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य

महिलाओं के स्वास्थ्य, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं, के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और जीवन चक्र के सभी स्तरों पर महिलाओं तथा लड़कियों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जो मानव विकास के संवेदनशील संकेतक हैं, को कम करने को प्राथमिकता दी जाती है। यह नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में निर्दिष्ट बाल मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) के लिए जन सांख्यिकी के राष्ट्रीय उद्देश्यों को दोहराती है। महिलाओं की व्यापक, किफायती और कोटिपरक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसे उपाय अपनाए जाएंगे जो महिलाओं को सूचित विकल्पों का प्रयोग करने में समर्थ बनाने के लिए उनके प्रजनन अधिकारों, लैंगिक और स्वास्थ्य समस्याओं जिसमें स्थानिक, संक्रामक और संचारी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, टीबी और पानी से उत्पन्न बीमारियों के साथ–साथ उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के प्रति अरक्षिता का ध्यान रखा जाएगा। एचआईवी एड्स तथा अन्य यौन संचारित बीमारियों के सामाजिक, विकासात्मक और स्वास्थ्य परिणामों से लिंग परिप्रेक्ष्य में निपटा जाएगा। शिशु और मातृ मृत्यु दर तथा बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए मृत्यु, जन्म और विवाहों के सूक्ष्म स्तर पर अच्छे और सटीक आंकड़ों की उपलब्धता अपेक्षित है। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य किया जाएगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) की जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी प्रतिबद्धता के अनुसरण में, यह नीति इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करती है कि परिवार नियोजन की अपनी पसंद की सुरक्षित, प्रभावी और किफायती विधियों तक पुरूषों और महिलाओं की पहुंच होनी चाहिए तथा बाल विवाह एवं बच्चों में अन्तर रखने जैसे मुद्दों का उपयुक्त ढंग से समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रसार, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण जैसे हस्तक्षेप और

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

बीएसवाई जैसे विशेष कार्यक्रम विवाह की आयु में देरी करने में प्रभाव डालेंगे ताकि 2010 तक बाल विवाह की प्रथा समाप्त की जा सके। समुचित प्रलेखन के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल और पोषण के बारे में महिलाओं के परम्परागत ज्ञान को मान्यता दी जाएगी और उसके प्रयोग को प्रात्साहित किया जाएगा।

पोषण

चूंकि महिलाओं को तीनों महत्वपूर्ण चरणों अर्थात शैशवकाल एवं बाल्यकाल, किशोरावस्था और प्रजनन चरण के दौरान कुपोषण और बीमारी का खतरा अधिक होता है, इसलिए महिलाओं के जीवन चक्र के सभी स्तरों पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर संकेंद्रित ध्यान दिया जाएगा। किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं के स्वास्थ्य तथा शिशुओं और बच्चों के स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध होने के कारण भी यह महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से गर्भवती और धात्री महिलाओं में वृहद् और सूक्ष्म पोषण की कमियों की समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएंगे क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। उपयुक्त कार्यनीतियों के माध्यम से लड़कियों और महिलाओं के पोषण संबंधी मामलों में घरों के अन्दर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास जाएगा। घरों के अन्दर पोषण में असमानता के मुद्दों और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए पोषण शिक्षा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। पद्धति की आयोजना, पर्यवेक्षण और प्रदायगी में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

पेयजल और स्वच्छता

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में सुरक्षित पेयजल, सीवेज के निस्तारण, शौचालय की सुविधाओं और परिवारों की आसान पहुंच के अंदर स्वच्छता की सुविधाओं का प्रावधान करने में महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार की सेवाओं की आयोजना, प्रदायगी और रख–रखाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

आवास और आश्रय

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियों, आवासीय कालोनियों की आयोजना और आश्रय के प्रावधान में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को शामिल किया जाएगा। महिलाओं जिसमें एकल महिलाए भी शामिल हैं। घरों की मुखिया, कामकाजी महिलाओं, विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षार्थियों के लिए पर्याप्त और सुरक्षित गृह तथा आवास प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

पर्यावरण

पर्यावरण संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में महिलाओं को शामिल किया जाएगा एवं उनके परिप्रेक्ष्यों को प्रतिबिंबित किया जाएगा। उनकी आजीविका पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करने और पर्यावरणीय विकृति का नियंत्रण करने में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं का अधिकांश भाग आज भी स्थानीय रूप से उपलब्ध ऊर्जा के गैर वाणिज्यिक स्रोतों जैसे कि जानवरों का गोबर, फसलों का अवशिष्ट और ईंधन लकड़ी पर निर्भर है। इन ऊर्जा स्रोतों का पर्यावरण अनुकूल ढंग से दक्ष प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना नीति का उद्देश्य होगा। महिलाओं को सौर ऊर्जा, बायोगैस, धूँआं रहित चूल्हों और अन्य ग्रामीण संसाधनों के प्रयोग को प्रचारित करने में शामिल किया जाएगा ताकि पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रभावित करने और ग्रामीण महिलाओं की जीवन शैली को परिवर्तित करने में इन उपायों का स्पष्ट प्रभाव पड़े।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को और अधिक शामिल करने के लिए कार्यकमों को सुदृढ़ किया जाएगा। इन उपायों में उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को चुनने के लिए लड़कियों को प्रेरित करना तथा यह भी सुनिश्चित शामिल होगा कि वैज्ञानिक और तकनीकी निविष्टियों वाली विकासात्मक परियोजनाओं में महिलाएं पूर्ण रूप से शामिल हों। वैज्ञानिक मनोदशा और जागृति को विकसित करने के प्रयासों को भी और भी अधिक बढ़ाया जाएगा। संचार और सूचना प्रोद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाएंगे जिनमें उनके पास विशेष कौशल हैं। महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित करने तथा साथ ही कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करते रहने की उनकी प्रथा को कम करने के प्रयासों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।

(i) आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नही है।

(ii) शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 81.3 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 60.6 प्रतिशत ही है।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

(iii) भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अपेक्षा अधिक रोजगारशील है, आकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती है, वही ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएँ मुख्यतः कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती है।

(iv) भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा 20 प्रतिशत कम भुगतान दिया जाता है।

(v) हमारा देश काफी तेजी और उत्साह के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते है, जब हम लैंगिंग असमानता को दूर कर पाए और महिलाओं के लिए भी पुरुषों के तरह समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सके।

(vi) भारत की लगभग 50 प्रतिशत आबादी केवल महिलाओं की है मतलब, पूरे देश के विकास के लिए इस आधी आबादी की जरुरत है जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है। ऐसी स्थिति में हम नहीं कह सकते कि भविष्य में बिना हमारी आधी आबादी को मजबूत किए हमारा देश विकसित हो पायेगा।

(vii) महिला सशक्तिकरण की जरुरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुषप्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वार कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और परिवार और समाज में भेदभाव भी किया गया ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की भूमिका

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएँ चलाई जाती हैं। इनमें से कई सारी योजनाएँ रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से सम्बंधित होती हैं। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं के परिस्थिति को देखते हुए किया गया है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ मुख्य योजनाएँ मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलायी जाने वाली योजना) आदि हैं। महिला एंव बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ इस आशा के साथ चलाई जा रही है कि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों की ही तरह प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा–

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

(i) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना

यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अंतर्गत लड़कियों के बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति लड़की एक बोझ है की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

(ii) महिला हेल्पलाइन योजना

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है. महिलाएँ अपने विरुद्ध होने वाली किसी तरह की भी हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नंबर पर कर सकती हैं। इस योजना के तुंरत पूरे देश भर में 181 नंबर को डायल करके महिलाएँ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

(iii) उज्जवला योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो गरीब और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को सस्ती रेट पर लपटों या बायो गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाती है। यह योजना न केवल खाद्य पकाने की सुविधा में सुधार लाती है, बल्कि इससे भूखमरी से लड़ने में मदद मिलती है और परिवारों की स्वास्थ्य और सुरक्षा में भी सुधार होता है। यह योजना मुख्य रूप से महिलाओं और गरीब परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। उज्जवला योजना के माध्यम से सरकार ने लाखों गरीब परिवारों की जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है और उन्हें एक उज्जवल भविष्य की दिशा में अग्रसर करने का अवसर प्रदान किया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण किसी एक आयाम तक सीमित न होकर एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी संरक्षण तथा सामाजिक सहभागिता जैसे तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा किए गए संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों एवं योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस आधार प्रदान किया है। अध्ययन में यह तथ्य उभरकर सामने आया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, स्वयं सहायता समूह, उज्ज्वला योजना, तथा राष्ट्रीय महिला नीति जैसी योजनाओं ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, आत्मनिर्भरता और सामाजिक जागरूकता में उल्लेखनीय सुधार किया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी एवं निर्णय क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

उनके आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। इसके बावजूद अध्ययन यह भी दर्शाता है कि महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। सामाजिक रूढ़ियाँ, पितृसत्तात्मक सोच, शिक्षा की कमी, योजनाओं की सीमित जानकारी तथा क्रियान्वयन में प्रशासनिक बाधाएँ महिलाओं के पूर्ण सशक्तिकरण में अवरोध उत्पन्न करती हैं। कई योजनाएँ लाभार्थियों तक पहुँचने में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पातीं, जिससे उनका प्रभाव सीमित रह जाता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज, परिवार, शैक्षणिक संस्थानों एवं गैर–सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी भी अनिवार्य है। सरकार द्वारा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, निरंतर निगरानी, तथा महिला–केंद्रित जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। जब महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से सशक्त होंगी, तभी एक समतामूलक एवं विकसित समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकेगा।

सन्दर्भ सूची

1. अनेजा, आर. (2005). ई–गवर्नेंसः बेहतर प्रशासन की दिशा में एक कदम. *द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 66(1), पृष्ट संख्या 98.*
2. बसु, एस. (2010). सिनेमा और भारतीय महिलाः एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य. *महिला अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय मंच, 33(5), पृष्ट संख्या 407.*
3. चक्रवर्ती, एस. (2017). बॉलीवुड और महिलाओं का बदलता चित्रणः एक सामग्री विश्लेषण. *मीडिया वॉच, 8(2), पृष्ट संख्या 239.*
4. दासगुप्ता, एस. और दासगुप्ता, एस. (2019). बॉलीवुड में महिलाएँः बदलती कहानियाँ और सशक्तिकरण की ओर यात्रा. *दक्षिण एशियाई लोकप्रिय संस्कृति, 17(1), पृष्ट संख्या 15.*
5. देसाई, जे. (2004). *बॉलीवुड से परेः* दक्षिण एशियाई प्रवासी फिल्म की सांस्कृतिक राजनीति. रूटलेज।
6. गेरा, आर. (2018). भारतीय सिनेमा में महिलाओं का चित्रणः चुनिंदा बॉलीवुड फिल्मों का एक अध्ययन. *जर्नल ऑफ मीडिया एंड सोशल डेवलपमेंट, 6(3), पृष्ट संख्या 58.*
7. घोष, एस. (2016). बॉलीवुड और सशक्त महिलाः विकसित होती कथाएँ और महिला नायक का उदय. *मध्य पूर्व की समकालीन समीक्षा, 3(2), पृष्ट संख्या 178.*
8. गुप्ता, आर. और श्रीनिवासन, एन. (2011). बॉलीवुड फिल्मों में महिलाओं का चित्रणः एक सामग्री विश्लेषण. *द इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, 18(2), पृष्ट संख्या 222.*
9. जैन, डी. और शर्मा, एन. (2015). बॉलीवुड में महिलाओं का प्रतिनिधित्वः 2000–2015 तक फिल्मों का एक सामग्री विश्लेषण. *मीडिया वॉच, 6(3), पृष्ट संख्या 363.*

10. जोशी, एस. (2018). बॉलीवुड के माध्यम से महिला सशक्तिकरणः समकालीन सिनेमा का एक अध्ययन. *इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, 25(1), पृष्ट संख्या 44.*